भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *262

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

ऑनलाइन गेमिंग की लत का प्रभाव

***262. सुश्री एस. जोतिमणि** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने विशेषकर युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेमिंग की वजह से की जाने वाली आत्महत्या सहित इसकी लत के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऑनलाइन गेमिंग की वजह से की जाने वाली आत्महत्याओं की राज्यवार दर्ज की गई संख्या कितनी है और इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुडे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की योजना है और यदि हां, तो प्रस्तावित विनियमन या प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)**: एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

ऑनलाइन गेमिंग की लत का प्रभाव के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *262 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

*****

(क) से (घ): केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, केंद्र सरकार ने संबंधित पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") में संशोधन अधिसूचित किए हैं। सरकार ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न जोखिमों और इससे पड़ जाने वाली लत जैसे संभावित नुकसानों से भली-भांति अवगत है।

आईटी नियम, 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े बिचौलियों, जिसमें ऑनलाइन गेम के संबंध में अन्य बिचौलिए, सोशल मीडिया बिचौलिए या प्लेटफॉर्म शामिल हैं, पर विशिष्ट दायित्व डाले गए हैं। ऐसे बिचौलियों को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत ऐसी वर्गीकृत गैरकानूनी जानकारी को हटाने या किसी भी जानकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनके स्तर पर की जाने वाली त्वरित कार्रवाई शामिल है, जो अन्य बातों के साथ साथ, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित है या उसे प्रोत्साहित करती है।

इसके अलावा, आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में यथापरिकल्पित उचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपरोक्त से संबंधित संज्ञेय अपराध भड़काने के लिए विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुंच अवरुद्ध करने के लिए माध्यस्थों को अवरोधन आदेश जारी करने का प्रावधान है। एमईआईटीवाई ने वर्ष 2022-24 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से संबंधित 1298 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी आत्महत्याओं के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा नहीं रखता है।

******